

डिक्री मूल वाद पत्र
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 163/2024

1. गुरप्रीत सिंह आयु 23 वर्ष पुत्र सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. जशनप्रीत सिंह आयु 21 वर्ष पुत्र कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. हरविन्द्र कौर आयु 50 वर्ष पत्नी सुखवीर सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. परविन्द्र कौर आयु 49 वर्ष पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—वादीगण

—:बनाम:-

1. सुखवीर सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. कुलदीप सिंह पुत्र बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. अमरजीत कौर पत्नी बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी सदासिहवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन

वादीगण की ओर से श्री मांगीलाल सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री कुलदीप सिंह धालीवाल अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद निम्नानुसार घोषणा कर खाता विभाजन किया जाता है:-

(क) वादी सं. 1 गुरप्रीत सिंह को प्राप्त हुई भूमि— चक 5 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 3 के प.नं. 41/282(49) के किला नं. 1 ता 5 की 1.265 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता

(ख). वादी सं. 2 जशनप्रीत सिंह को प्राप्त हुई भूमि— चक 6 एलजीडब्ल्यू के खाता सं. 88 के प.नं. 41/289(36) किला नं. 3 ता 7 की 1.265 हैक्ट. नहरी मय गैरमुमकिन रास्ता

(ग) वादी सं. 3 हरविन्द्र कौर को प्राप्त हुई भूमि—

(1) चक 5 एलजीडब्ल्यू के संयुक्त खाता सं. 41 के प.नं. 39/280(40) के किला नं. 4 ता 7, 15 की कुल 7.590 हैक्ट. भूमि में वादी सं. 3 का 65/1012 हिस्सा, वादी सं. 4 का 65/1012 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 का



सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

97/5060 हिस्सा तथा प्रतिवादी सं. 2 का 97/5060 हिस्सा भूमि दर्ज है के खाता में से वादी सं. 4, प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि में वादी सं. 3 का 1/6 हिस्सा भूमि

(2) चक 5 एलजीडब्ल्यु के संयुक्त खाता सं. 51 के प.नं. 39/281 (45) के किला नं. 1 ता 3, 8 ता 14, 16 ता 18, 19/1/0.190 हैक्ट. नहरी, 19/2/0.025 हैक्ट. खाला, 20/1/0.038, 20/2/0.025 हैक्ट. खाला, 22/1/0.013 हैक्ट. नहरी, 22/2/0.012 हैक्ट. खाला, 23/1/0.114 हैक्ट. नहरी, 23/2/0.025 खाला, 24, 25 की कुल 4.237 हैक्ट. संयुक्त खाते की भूमि में से वादी सं. 3 का 51/8474 हिस्सा, वादी सं. 4 का 51/8474 हिस्सा में से वादी सं. 4 का नाम विलोपित किया जाकर उक्त भूमि में वादी सं. 3 का 51/4237 हिस्सा भूमि

(घ) वादी सं. 4 परविन्द्र कौर को प्राप्त हुई भूमि—


1. चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 5 के 40/289 (37) के किला नं. 3, 4, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 रास्ता, 6/1/0.228 नहरी, 6/2/0.025 हैक्ट. रास्ता, 25/1/0.021 हैक्ट. नहरी की कुल 1.033 हैक्ट. भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम विलोपित किया जाकर वादी सं. 4 के नाम चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 5 के 40/289 (37) के किला नं. 3, 4, 5/1/0.228 नहरी, 5/2/0.025 रास्ता, 6/1/0.228 नहरी, 6/2/0.025 हैक्ट. रास्ता, नहरी की कुल 1.012 हैक्ट. भूमि
2. चक 7 एलजीडब्ल्यु-बी के खाता सं. 11 के प.नं. 30/288 (13) के किला नं. 11/2/0.127, 12/2/0.127 की 0.254 हैक्ट. नहरी भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 1 सुखवीर सिंह को प्राप्त हुई भूमि —

1. चक 5 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 3 के प.नं. 41/282 (49) के किला नं. 6/1/0.228 नहरी, 6/0.025 रास्ता, 7 ता 14, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 रास्ता, 16/1/0.228 नहरी, 16/2/0.025 रास्ता, 17 ता 19, 21/0.228 नहरी, 22, 23, 24, 25/1/0.228 नहरी 25/2/0.025 कुल 4.782 हैक्ट. भूमि में से 4.023 हैक्ट. भूमि
2. चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 5 के 40/289 (37) के किला नं. 25/1/0.021 हैक्ट. नहरी भूमि 1/2 हिस्सा भूमि
3. चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 88 के प.नं. 41/289 (36) के किला नं. 12/1/2/0.0755 हैक्ट., किला नं. 19/1/2/0.1675 हैक्ट., कुल 0.243 हैक्ट. नहरी भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 2 कुलदीप सिंह को प्राप्त हुई भूमि—

1. चक 5 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 3 के प.नं. 41/282 (49) के किला नं. 20 की 0.253 हैक्ट. भूमि
2. चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 5 के प.नं. 40/289 (37) के किला नं. 25/1/0.021 हैक्ट. नहरी भूमि 1/2 हिस्सा भूमि
3. चक 6 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 88 के प.नं. 41/289 (36) के किला नं. 2, 8, 9, 12/1/1/0.1675, 13 ता 18, 19/1/1/0.0755 कुल 2.520 हैक्ट. भूमि


सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

4. चक 7 एलजीडब्ल्यु(बी) के खाता सं. 11 के प.नं. 30/288 (13) के किला नं. 13/2/0. 126, 14/2/0.126, 17 ता 24 की 2.276 हैक्ट. भूमि में से 1.517 हैक्ट. भूमि,

(छ). प्रतिवादी सं. 3 अमरजीत कौर को प्राप्त हुई भूमि—

1. चक 5 एलजीडब्ल्यु के खाता सं. 3 के प.नं. 41/282 (49) के किला नं. 6/1/0. 228 नहरी, 6/0.025 रास्ता, 7 ता 14, 15/1/0.228 नहरी, 15/2/0.025 रास्ता, 16/1/0. 228 नहरी, 16/2/0.025 रास्ता, 17 ता 19, 21/0.228 नहरी, 22, 23, 24, 25/1/0. 228 नहरी 25/2/0.025 कुल 4.782 हैक्ट. भूमि में से 0.759 हैक्ट. भूमि

2. चक 7 एलजीडब्ल्यु(बी) के खाता सं. 11 के प.नं. 30/288 (13) के किला नं. 13/2/0. 126, 14/2/0.126, 17 ता 24 की 2.276 हैक्ट. भूमि में से 0.759 हैक्ट. भूमि,

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 11/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपसहायक सहायक पीलीबंगा
पीलीबंगा)